



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 21
2 आषाढ़ 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
23 जून 2021 (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-8	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	9-9	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	10-10	
पूरक	---	
पूरक-क	---	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना

अधिसूचना
15 जून 2021

सं० नि० वि० स्था०-122/06 (अंश)-1914—राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेन्स” नीति अपनायी गयी है। इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सरकार द्वारा निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय “विशेष निगरानी इकाई” को सशक्त एवं इसके अनुसंधान तथा कार्य क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त तीन (03) पुलिस अधीक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. इन तीन (03) पुलिस अधीक्षकों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उक्त चयन समिति में निम्नांकित पदाधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है जो निम्नवत् है :-

- | | |
|---|---------|
| 1. अपर मुख्य सचिव,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना। | अध्यक्ष |
| 2. अपर महानिदेशक,
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना। | सदस्य |
| 3. अपर महानिदेशक,
विशेष निगरानी इकाई, पटना। | सदस्य |
| 4. श्री नवल किशोर,
संयुक्त निदेशक
चकबंदी (मुख्यालय) पटना। | सदस्य |

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो० जहाँगीर आलम, उप-सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं
6 मार्च 2021

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3213—श्री सतीश कुमार सिंह, भा०प्र०से०(2008), विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3214—श्री विमलेश कुमार झा, भा०प्र०से०(2008), संयुक्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3215—श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा०प्र०से०(2010), अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3216—डॉ० करुणा कुमारी, भा०प्र०से० (ए एम:2010), अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. डॉ० करुणा कुमारी अगले आदेश तक निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3217—श्री संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से० (2008), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

10 मार्च 2021

सं० 1/अ०-06/2008-सा०प्र०-3494—श्री त्रिपुरारि शरण, भा०प्र०से०(85), अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक 21.01.2021 से 18.02.2021 तक कुल 29 दिनों के रूपांतरित अवकाश (58 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

18 मार्च 2021

सं० 1/पी०-415/2006-सा०प्र०-3902—श्री सतीश सिंह ठाकुर, भा०प्र०से०(सेवा निवृत्त), (जन्म तिथि-06.01.1945) को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-860 दिनांक 18.05.2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार की अधिसूचना संख्या-10771 दिनांक 23.10.2006 द्वारा संविदा के आधार पर मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। विभागीय अधिसूचना संख्या-2334 दिनांक 20.02.2019 द्वारा श्री ठाकुर की सेवा दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक विस्तारित हुई है।

2. 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान को शिथिल करते हुए श्री सतीश सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना की प्रासंगिक सेवा को दिनांक 31.03.2021 के उपरान्त दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तारित की जाती है।

3. श्री ठाकुर की स्थापना मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधीन रहेंगी।

4. प्रासंगिक संदर्भ की सेवा शर्त भी पूर्ववत् रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

22 मार्च 2021

सं० 1/पी०-1017/2011-सा०प्र०-3981—श्री मनीष कुमार वर्मा, भा०प्र०से० (ओ आर : 2000), मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी/सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना) की दिनांक 22.03.2021 को समाप्त हो रही बिहार संवर्ग की वर्तमान अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप, उनके द्वारा समर्पित उपार्जित अवकाश के आवेदन के आलोक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.05.1987 तथा भारत सरकार के तत्संबंधी परिपत्र दिनांक 09.02.2018 के तहत उन्हें दिनांक 23.03.2021 से 22.05.2021 तक दो माह के उपार्जित अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

24 मार्च 2021

सं० 1/पी-1020/2014-सा०प्र०-4080—श्री सज्जन आर, भा०प्र०से०(2015), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

24 मार्च 2021

सं० 1/अ०-1003/2021-सा०प्र०-4081—श्री सुमित कुमार, भा०प्र०से० (2019), सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, नालन्दा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर

निजी कार्य के लिए मालदीव की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 08.05.2021 से 16.05.2021 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।**

28 मार्च 2021

सं० 1/पी०-1004/2021-सा०प्र०-4268—श्री आमिर सुबहानी, भा०प्र०से० (1987), विकास आयुक्त, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान-बिपार्ड, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी/अपर मुख्य सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।**

31 मार्च 2021

सं० 1/अ०-1005/2021-सा०प्र०-4318—श्री निखिल धनराज निष्पणीकर, भा०प्र०से० (2018), अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 30.03.2021 से 27.04.2021 तक कुल 29 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री निष्पणीकर को आलोच्य छुट्टी की दिनांक 16.04.2021 से 22.04.2021 तक की अवधि का मालदीव की विदेश यात्रा हेतु एक्स-इंडिया लीव के रूप में उपभोग करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

3. श्री निष्पणीकर की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद-अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के प्रभार में श्री अमनप्रीत सिंह, बि०प्र०से०, वरीय उप समाहर्ता, जहानाबाद रहेंगे।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।**

1 अप्रिल 2021

सं० 1/सी०-1003/2021-सा०प्र०-4374—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज-I) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्रा की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2020 बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	पदस्थापन से संबंधित जिला
1	श्री श्रेष्ठ अनुपम (2020)	मुजफ्फरपुर
2	श्री प्रदीप सिंह (2020)	पटना
3	सुश्री चन्द्रिमा अत्री (2020)	भागलपुर
4	सुश्री अनुपमा सिंह (2020)	गया
5	श्री श्रीकान्त कुण्डलीक खाण्डेकर (2020)	नालन्दा(बिहारशरीफ)
6	श्री कुमार निशान्त विवेक (2020)	पूर्णिया
7	श्री अभिषेक पलासिया (2020)	दरभंगा
8	श्री सेधु माधवन एस (2020)	पश्चिम चम्पारण(बेतिया)

2. साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्ति किया जाता है। इन सभी पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।**

1 अप्रिल 2021

सं० 1/अ०-14/2012(खण्ड)-सा०प्र०-4375—श्री अतुल प्रसाद, भा०प्र०से० (87), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए विदेश यात्रा (संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा) हेतु एक्स-इंडिया लीव के रूप में दिनांक 14.06.2021 से 23.06.2021 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अतुल प्रसाद की आलोच्य छुट्टी अवधि में श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (95), प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्यट, पटना) अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के कार्यों के भी प्रभार में रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

6 अप्रैल 2021

सं0 1/पी-14/2009(खण्ड)—सा0प्र0-4490—श्री मनीष कुमार, भा0प्र0से0(2005), आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर अगले आदेश तक आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

6 अप्रैल 2021

सं0 1/पेन0-29/2012(खण्ड-II)—सा0प्र0-4499—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-25013/02/2005-AIS-II दिनांक 28.06.2012 से निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम -16(3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के सेवा अभिलेख की गहन समीक्षा हेतु गठित समिति निम्नवत् पुनर्गठित की जाती है:-

- | | | |
|-------|---|---|
| (i) | मुख्य सचिव, बिहार | — अध्यक्ष |
| (ii) | श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0 (बी एच : 87)
सम्प्रति विकास आयुक्त, बिहार। | — सदस्य
(बिहार संवर्ग के शीर्ष वेतनमान के पदाधिकारी के रूप में) |
| (iii) | श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा0प्र0से0 (झा : 91)
सम्प्रति सदस्य राजस्व पर्यट, झारखण्ड। | — सदस्य
(बिहार संवर्ग से बाहर के शीर्ष वेतनमान के वैसे पदाधिकारी के रूप में जिनका गृह राज्य बिहार नहीं है) |
| (iv) | श्री एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0 (बी एच : 91)
सम्प्रति प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार,
पटना। | — सदस्य
(बिहार संवर्ग में प्रधान सचिव स्तर के अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी के रूप में) |
| (v) | प्रधान सचिव/सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य सचिव |

2. उपर्युक्त समिति बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में सेवा अभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी।

3. समिति की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी। तत्पश्चात् राज्य सरकार की अनुशंसा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को भेजी जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, संयुक्त सचिव।

6 अप्रैल 2021

सं0 1/पी-1004/2021—सा0प्र0-4529—श्री कंवल तनुज, भा0प्र0से0(2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री तनुज अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार संवाद समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी-1004/2021—सा0प्र0-4530—श्री उदयन मिश्रा, भा0प्र0से0(2011), अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें कटिहार जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

6 अप्रैल 2021

सं० 1 / अ०-1019 / 2018-सा०प्र०-4566—श्री विवेक रंजन मैत्रोय, भा०प्र०से० (2017), नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 26.04.2021 से 15.05.2021 तक कुल 20 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री विवेक रंजन मैत्रोय की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद-नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर के प्रभार में श्री विशाल आनन्द, बि०प्र०से०, अपर नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

6 अप्रैल 2021

सं० 1 / अ०-16 / 2008-सा०प्र०-4567—श्री असंगबा चुबा आओ, भा०प्र०से० (2003), सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 05.04.2021 से 19.04.2021 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचनाएं

11 जून 2021

सं० 2 / वन भूमि (विविध)-44 / 2021-382(ई.) / प०व०ज०प०—श्री नन्द कुमार मांझी, बि०व०से०, उप वन संरक्षक (संविदा), कार्यालय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजमार्गों के परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के निमित्त Forest Clearance से संबंधित कार्यों के समन्वय हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में समकक्ष पद पर अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

31 मई 2021

सं० 2 / बि०व०से०(आ०)-08 / 2018-1283 / प०व०ज०प०—श्री ब्रज किशोर, बि०व०से०, तत्कालीन सहायक वन संरक्षक, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ सम्प्रति सेवानिवृत्त का माह मार्च 2018 से जून 2018 के बीच 25 कार्य दिवसों का वेतन अवरुद्ध है। उक्त अनुपस्थिति के लिए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-4627 दिनांक 12.11.2019 द्वारा निन्दन की सजा अधिरोपित की गयी है।

श्री किशोर सम्प्रति सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनके सेवान्त लाभ के स्वीकृति के निमित्त उक्त 25 अनुपस्थित कार्य दिवसों के आलोक में श्री किशोर को बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के तहत विशेष परिस्थिति में भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

18 जून 2021

सं० 15 / एम 1-06 / 2015-1143—विभागीय अधिसूचना संख्या 611 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम की धारा-12 (a) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के सभा (Court) गठन किया गया है। परिनियम की धारा-12 (a) (12) के प्रावधानानुसार बिहार विधान परिषद् सचिवालय के पत्रांक 495 दिनांक 17.06.2021 द्वारा मनोनीत निम्नांकित 02 माननीय सदस्यों को अधिसूचना निर्गत की तिथि के प्रभाव से परिनियम की धारा 12(c) के आलोक में तीन वर्षों के लिए इस सभा (Court) में शामिल किया जाता है :-

1. प्रो (डॉ०) राम वचन राय, माननीय स०वि०प०।
2. प्रो० (डॉ०) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय स०वि०प०।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
असंगबा चुबा आओ, सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

16 जून 2021

सं० 03/ओवरलॉडिंग (डाला निर्धारण)-01/2020(खण्ड)-3289—बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना के लिए बालू/गिट्टी के परिवहन हेतु विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यापक जनहित में अधिसूचना सं०-8536 दिनांक-16.12.2020 में निहित प्रावधानों के आलोक में अपर महानिदेशक, सीमा सड़क (पूर्व) द्वारा वायुसेना स्टेशन, बागडोगरा (पश्चिम बंगाल) के रनवे के निर्माण कार्य **Border Road Organisation** के प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अन्तर्गत किये जाने हेतु 12 चक्के से अधिक चक्के वाले ट्रकों से पाकुड़ (झारखंड) से किशनगंज (बिहार) के रास्ते बागडोगरा (प० बंगाल) तक **High Grade Aggregate** के परिवहन के लिए विशेष अनुमति दिये जाने हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2019) की धारा 115 में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना सं० 8536 दिनांक 16.12.2020 को निम्न निर्माण कार्य के लिए शिथिल किया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यापक जनहित में वायु सेना स्टेशन, बागडोगरा (प० बंगाल) के रनवे का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु **Border Road Organisation** को प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अन्तर्गत विशेष परिस्थिति में पाकुड़ (झारखंड) से किशनगंज (बिहार) के रास्ते बागडोगरा (प० बंगाल) तक **High Grade Aggregate** के परिवहन हेतु 12 चक्के से उपर वाले ट्रकों को अनुमान्य लदान क्षमता के अनुरूप परिचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)/अस्पष्ट, सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

9 जून 2021

सं० 7/सी०सी०ए०-1024/2001(खंड-II)गु०आ०-3662—बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) के अध्याय-2 की धारा-12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा-12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-2363, दिनांक 15.03.2021 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात् दिनांक 01.07.2021 से 30.09.2021 (एक जूलाई दो हजार इक्कीस से तीस सितम्बर दो हजार इक्कीस) तक प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

Home Department
(Police Branch)

NOTIFICATION

The 17th June 2021

No. 7/CCA-1026/2001 H(P)-3858--Consequent upon superannuation of Hon'ble Mr. Justice Shivaji Pandey, Patna High Court, who was Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981
 2. National Security Act, 1980
 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974
- and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice **Ashwani Kumar Singh**
 Hon'ble Justice **Smt. Rekha Kumari** (Retd.)
 Hon'ble Mr. Justice **Gopal Prasad** (Retd.)

Chairman
Member
Member

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification

By the order of the Governor of Bihar,
Girish Mohan Thakur, Under Secretary.

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
 2 जून 2021

सं० 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2019 श्र०सं०-13—श्री रणवीर रंजन, श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर-2 को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक सहायक श्रमायुक्त, छपरा तथा श्रम अधीक्षक, छपरा-1 एवं 2 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० विनायक पद्माकर, अवर सचिव।

23 मार्च 2021

सं० 1/प्रशि०स्था० 16/2020 श्र०सं०-230—श्री श्रीमोहन तांती, उप निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त उप निदेशक (प्रशिक्षण), भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० विनायक पद्माकर, अवर सचिव।

10 मार्च 2021

सं० 1/श्रम वि०स्था०(1)10-04/2020 श्र०सं०-226—श्री रोहित राज सिंह, सहायक श्रमायुक्त, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 में निहित प्रावधान के तहत 11.11.2020 से 09.12.2020 तक कुल 29 दिनों (बिहार सेवा संहिता के नियम 232 में निहित प्रावधान के तहत 58 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) के रूपान्तरित छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है।

इसके उपरान्त इनके अवकाश लेखा में दिनांक 09.12.2020 तक कुल 131 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश तथा 151 दिनों का रूपान्तरित अवकाश आदेय रह जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० विनायक पद्माकर, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट, 10—571+10—डी०टी०पी०।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

16 जून 2021

सं० 15/एम 1-06/2015-1113—विभागीय अधिसूचना संख्या 611 दिनांक 08.03.2019 एवं अधिसूचना संख्या 621 दिनांक 09.03.2019 के द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम की धारा-12 (a) के तहत विश्वविद्यालय के सभा (Court) गठन किया गया है।

उक्त अधिसूचनाओं में वर्णित तथ्यों को निम्नवत् प्रतिस्थापित समझा जाए:—

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम की धारा 12 (a) के अनुसार सभा में निम्न पदाधिकारियों को पदेन घोषित किया गया है।

1.	माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार	अध्यक्ष (पदेन)
2.	कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार	पदेन सदस्य
4.	डीन, छात्र कल्याण, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	पदेन सदस्य
5.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	पदेन सदस्य
6.	प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार	पदेन सदस्य
7.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार	पदेन सदस्य
8.	प्रोक्टर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	पदेन सदस्य

इनके अतिरिक्त परिनियम की धारा-12(a) एवं 12(c)(i) के आलोक में इस विश्वविद्यालय की सभा में निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि के प्रभाव से तीन वर्षों के लिए सदस्य नामित किया जाता है।

क्र०	सदस्य का नाम	सभा में सदस्य के रूप में नामित किये जाने की प्रभावी तिथि
1	श्री केदार पाण्डेय, सदस्य बिहार विधान परिषद	08.03.2019
2	श्री नीरज कुमार, सदस्य बिहार विधान परिषद	08.03.2019
3	श्री अंजनी कुमार सिंह, पूर्व मुख्य सचिव, बिहार	08.03.2019
4	डा० रतनेश्वर मिश्र, पूर्व विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, एल०एल० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	09.03.2019

उक्त अधिसूचनाओं में वर्णित शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)/अस्पष्ट, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 571—मैं, **कौसर मल्लिक** सुपुत्री अजीजुर रहमान मल्लिक, पता न्यू कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस – दीघा घाट, आई०टी०आई० पटना (बिहार) के सामने, शपथ पत्र सं० 617 दिनांक-15.02.2020 के द्वारा घोषणा करती हूँ कि कौसर मल्लिक तथा कौसर हक, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। मेरा असली नाम कौसर मल्लिक है।

कौसर मल्लिक।

No. 571—I, **KAUSAR MALICK** D/O Azizur Rahman Mallick R/O New Colony, P.O-Digha Ghat Opposite ITI, Patna (Bihar) declare Vide Affidavit No. 617 Dated 15.02.2020 that both the names Kausar Mallick and Kausar Haque are that of one and same person. My real name is Kausar Mallick.

KAUSAR MALICK.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>